

दिव्यांग (divyang) होने के मायने

वर्तमान संदर्भ

- दिव्यांगों की स्थिति में सुधार लाकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से राज्यसभा ने 'नशिकृत व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2014 पारित कर दिया है। इस अधिनियम में दिव्यांग जनों के हितों में कई प्रावधान किये गए हैं।
- अधिनियम में दिव्यांग जनों की श्रेणियों को सात से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। अब एसडि हमले के पीड़ित सहित पार्कसिन, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म जैसे रोगों के शिकार व्यक्ति भी नशिकृतजनों में शामिल हो जाएंगे। साथ ही दिव्यांगजनों के स्वाभिमानी को बनाए रखने के लिये यह प्रावधान किया गया है कि उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव करने पर दो साल की जेल और अधिकतम पांच लाख रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त उनके लिये आरक्षण की सीमा भी 4 प्रतिशत कर दी गई है।
- यद्यपि ये कानूनी प्रावधान काफी सशक्त हैं कतिु जब तक आम जनमानस इन वर्गों के प्रति संवेदनशील नहीं होगा तब तक समाधान का कोई भी प्रयास प्रभावी नहीं हो पाएगा। हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर यह नशिकृतता की अवधारणा है क्या? इसका विकास के प्रारूप से क्या संबंध है?

विकास की प्रक्रिया और दिव्यांगता

- दरअसल, हमारी सामाजिक सहमति इस प्रकार की बनी है कि हम उनके प्रति दयाभाव रखते हैं और यह मानकर चलते हैं कि चूँकि वे हमारी तरह सक्षम नहीं हैं; इसलिये गाहे बगाहे इन 'बेचारों' की मदद कर इंसानियत पर एहसान कर दिया जाए। हमारी दृष्टि 'एक अलग' से देखने वाले इंसान के लिये कारुणिक हो जाती है और उस पूरे समूह को मानव संसाधन से अलग कर नशिकृतजन की श्रेणी में डाल दिया जाता है, जबकि वास्तविकता इससे अलग है।
- हमारे मन में ऐसा भाव इसलिये आता है क्योंकि हमारी धारणा कुछ इस तरह की है कि ये 'सशक्तों' की तुलना में 'नशिकृत' है। ऐसी धारणा इसलिये भी बनती है क्योंकि हम में से अधिकांश लोग इस शक्ति के स्रोत से अनभिज्ञ होते हैं और हमें नहीं पता होता है कि ऐसा विभाजन क्यों है?
- दरअसल, मानव ने अपने विकास क्रम के दौरान अपने आस-पास के परिवेश को अपने अनुकूल बदलना प्रारंभ किया। मनुष्य ने हर उस चीज को बदलना चाहा जो उसे कठिन लगती थी। सामान्यीकृत तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सुख-सुविधा हमेशा से मानव सभ्यता के विकास का एक आवश्यक अंग रहा है और इंसानों द्वारा किये जाने वाले हर परिवर्तन के मूल में यही छिपा होता है कि कैसे जीवन को आसान बनाया जाए। पहले आग की खोज हुई, जिससे एक तो जंगली जानवरों से सुरक्षा प्राप्त हुई और दूसरे भोजन को भी पकाकर खाया जाने लगा। फरि उसके बाद पहिये की खोज से मानव जीवन में गति आई और फरि परिवर्तन का यह सलिसला चलते हुए आज क्वांटम कम्प्यूटर तकनीकी के विकास तक पहुँच गया है। ये सारे बदलाव या यूँ कहें मानव विकास की यह प्रक्रिया जीवन को आसान बनाने के लिये ही तो हुई। लेकिन अब सवाल यह है कि इससे किसका जीवन आसान हुआ? या फरि इन बदलावों के केंद्र में मानव का कौन सा ढाँचा स्थिति था?
- जाहिर है कि हमारे मन में मानव कहने के साथ जो तस्वीर उभरती है वो है दो हाथ, दो पैर, दो आंख आदि। अतः जो भी परिवर्तन जीवन को आसान बनाने के लिये हुए उनके केंद्र में मानव शरीर का यही ढाँचा था और जो अल्पसंख्यक समूह किसी कारणवश इस ढाँचे से अलग था उनके लिये ये सारे बदलाव कोई महत्त्व के नहीं रहे। इस तरह परिवहन के साधनों से लेकर मनोरंजन की वधियों तक, सब उन्हीं 'स्वस्थ' मानवों के अनुकूल थी, जिससे स्वाभाविक रूप से होना भी था, कतिु इस स्वाभाविक परिवर्तन का लाभ उन लोगों को नहीं मिला पाया जो हमारे निर्धारित शारीरिक स्वास्थ्य के पैमाने के अनुसार अस्वस्थ हैं।
- वस्तुतः चूँकि समग्र रूप से इस विकासक्रम में यह वर्ग कहीं शामिल था ही नहीं इसलिये जो परिवर्तन दूसरों के लिये आसानी बनकर आए वही इनके लिये मुश्किल बन गये क्योंकि समापदति परिवर्तन इनके शरीर के अनुकूल था ही नहीं। चाहे गाड़ी-मोटर का निर्माण हो या फरि साइकलि, सड़क हो या पैदलपथ, रेलवे प्लेटफॉर्म हो या बस अड्डा सभी का संयोजन बहुसंख्यक मानव समुदाय ने अपने अनुसार ही किया।
- चूँकि इन नए साधनों का उपयोग करने में एक वर्ग असमर्थ है इसलिये हम इन्हें विकलांग/दिव्यांग या फरि नशिकृतजन कहने लगे। दरअसल, कोई सशक्त इसलिये है क्योंकि संसाधनों का विकास इस प्रकार हुआ है कि वह उसका उपयोग कर पा रहा है और कोई नशिकृत इसलिये है क्योंकि संसाधनों का विकास उनके अनुकूल नहीं किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये अशक्त और नशिकृत जैसी शब्दावलियाँ भ्रामक हैं। इससे केंद्र में शरीर आ जाता है, जबकि आना चाहिये विकास के स्वरूप को। कुछ सुसंगत उदाहरणों के माध्यम से इसे समझा जा सकता है। जैसे यदि हरेक प्लेटफॉर्म पर ऐसी सुविधा हो कि व्हीलचेयर बना किसी सहारे के ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश कर जाए तो कोई अक्षम क्यों कहलायेगा? उसी तरह यदि सीढ़ियों के साथ लिफ्ट भी हो तो किसी ठीक से न चल पाने वाले व्यक्ति के लिये भी ऊपर चढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक ऐसे ही यदि पढ़ने के लिये 'देखना' अनिवार्य न हो तो किसी नेत्रहीन के लिये समस्या क्यों होगी? अर्थात यदि ज्ञान के स्रोतों को देखने के साथ साथ हाथ से छूकर पढ़ने (बरेल लिपी) तथा किसी अन्य श्रव्य वधि (सीडी/कैसेट) के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए तो अभी इससे महूर रहने वाला वर्ग भी आसानी से पढ़ पाएगा। इस तरह के उदाहरण अन्य क्षेत्रों में भी देखे जा सकते हैं।

नशिकृत

